

GOVERNMENT OF RAJASTHAN

Energy Department

No. F 22(20) Energy/94

Jaipur, Dated - 22.9.2016

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by rule 9 and 13 of the Rajasthan Electrical Inspectorate (Formation of Technical Committee and Grant of Licence, Competency Certificate to work and Permit to work) Rules, 2016, and in supersession of all previous notification issued by department in this regard, the State Government hereby, with immediate effect, notifies that the fee payable for grant and renewal of Contractor's License and fee payable for grant and renewal of certificate of competency and permit to work, shall be as specified in Schedule given below, namely:-

SCHEDULE OF FEES

S. No.	Purpose for which fee is to be paid	Fees for Grant and renewal of Contractor's License			
		Fees in Rs.			
		Electrical Contractor Class A	Electrical Contractor Class B	Electrical Contractor Class C	Electrical Contractor Class D
1	2	3	4	5	6
1.	Cost of Application for Contractor License	250/-	250/-	100/-	100/-
2.	Fee for issue of fresh license	9000/-	5000/-	2000/-	750/-
3.	Renewal fee on or before the due date	4000/-	2000/-	700/-	250/-
4.	Late fee for renewal of licence (30 days after due date). Note: After 30 days, the licence shall be automatically cancelled	9000/-	5000/-	2000/-	750/-
5.	Fee for issue of duplicate license	1500/-	750/-	300/-	250/-

S. No.	Fees for Grant and renewal of Certificate of Competency and Permit to work				
	Purpose for which fee is to be paid	Fees in Rs.			
		Electrical Supervisor Grade A	Electrical Supervisor Grade B	Wireman	Chartered Electrical Safety Engineer
1	2	3	4	5	6
1.	Cost of Application form for examination	500/-	500/-	250/-	500/-
2.	Fee for Grant of Certificate of Competency to work	1000/-	1000/-	500/-	-
3.	Fee for grant of Permit to work	1000/-	1000/-	500/-	5000/-
4.	Fee for extension of validity of Permit to work on or before due date	100/-	100/-	80/-	1500/-
5.	Late fee for extension of validity after due date (30 days after due date) Note: After 30 days, the Permit to Work shall be automatically cancelled	120/-	120/-	100/-	The permit to work shall be considered as cancelled after due date.
6.	Fee for issue of duplicate Permit to Work	150/-	150/-	150/-	2000/-

The above fees specified in the schedule shall be increased further by 10% after every three years from the date of this notification.

By Order of the Governor,

(U.D. Khan)


Joint Secretary to the Government

Copy forwarded to the following for information and necessary action:-

1. Secretary to Hon'ble Chief Minister, Rajasthan
2. Special Assistant, Hon'ble State Minister, Energy
3. Chief Secretary, Rajasthan, Jaipur
4. Chairman, Central Electricity Authority, New Delhi.

22/9/16

5. Secretary, Ministry of Power, Govt. of India, New Delhi
6. Pr. Secretary, Finance / Pr. Secretary, Energy
7. Chairman & Managing Director, Rajasthan Rajya Vidyut Prasaran/Utpadan Nigam Limited, Jaipur
8. Chairman, Discoms, Vidyut Bhawan, Jaipur
9. Managing Director, Jaipur/Jodhpur/Ajmer Vidyut Vitran Nigam Limited, Jaipur/Jodhpur/Ajmer.
10. Managing Director, Rajasthan Renewable Energy Corporation, Jaipur
11. Secretary, Rajasthan Electricity Regulatory Commission, Jaipur
12. Superintendent, Central Govt. Press, Jaipur with a request kindly get it published in extra ordinary gazette of Rajasthan Rajpatra (Permission of Bhasha Vibhag, Jaipur is enclosed).
13. Sr. Electrical Inspector, Rajasthan, Jaipur. Kindly circulate it to all subordinate offices.
14. Electrical Inspectors, Electrical Inspectorate, Jaipur/Kota/Jodhpur
15. Guard File.


22/7/16
Joint Secretary to the Govt.

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
Energy Department

No F. 22(20)Energy/94

Jaipur, Dated - 22.9.2016

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by rule 8 of the Rajasthan Chief Electrical Inspector and Electrical Inspectors (Powers and Functions) Rules, 2016 and in supersession of this department's notification number F.22(20)Energy/94 dated 31st December 1994, the State Government hereby, with immediate effect, notifies that the fee payable for testing and inspection of electrical installations and services by Inspectors or any other officer appointed to assist him shall be as specified in Schedule given below, namely:-

SCHEDULE OF FEES

S. No	SCALE "A"		
	Nature of Service	Capacity of Installation	Fees in Rs. For each inspection
1	2	3	4
1.	Inspection, examination and testing of Medium voltage and High Voltage motors	Upto 6 kW	80/-
2.		Exceeding 6 kW but not exceeding 20 kW	200/-
3.		Exceeding 20 kW but not exceeding 50 kW	800/-
4.		Exceeding 50 kW but not exceeding 100 kW	1600/-
5.		Exceeding 100 kW but not exceeding 1000 kW	2000/-
6.		Exceeding 1000 kW	4000/-

S. No.	SCALE "B"		
	Nature of Service	Capacity of Installation	Fees in Rs. for each inspection
1	2	3	4
1.	Inspection, examination and testing of each transformer and	Domestic lighting sets in residential premise upto 10 kVA	150/-
2.		Exceeding 10 kVA but not exceeding 25 kVA	350/-



3.	Generator	Exceeding 25 kVA but not exceeding 50 kVA	700/-
4.		Exceeding 50 kVA but not exceeding 100 kVA	1000/-
5.		Exceeding 100 kVA but not exceeding 250 kVA	1600/-
6.		Exceeding 250 kVA but not exceeding 500 kVA	2200/-
7.		Exceeding 500 kVA but not exceeding 750 kVA	3000/-
8.		Exceeding 750 kVA but not exceeding 1000 kVA	3600/-
9.		Exceeding 1000 kVA but not exceeding 10000 kVA	5000/-
10.		Exceeding 10000 kVA	7500/-

SCALE "C"			
S. No.	Nature of Service	Capacity of Installation	Fees in Rs. for each inspection per kM per Circuit
1	2	3	4
1.	Inspection, testing and examination of line, busbar and cables	Up to 11 kV	250/-
2.		Exceeding 11 kV but not exceeding 33 kV	1500 /-
3.		Exceeding 33 kV	3000/-

SCALE "D"		
S. No.	Purpose for which fee is to be paid	Fee in Rs. for each inspection and/or issue of certificate
1	2	3
1.	For an inspection and/or issue of certificate under Regulation 63 (6) of Central Electricity Authority (Measures relating to Safety and Electric Supply) Regulations, 2010	1000/-

SCALE "E"			
S. No.	Nature of Service	Capacity of Installation	Fees in Rs. for each inspection
1	2	3	4
1.	Inspection and testing of consumer's / Owner's LT installation	Upto 2 kW	60/-
2.		Exceeding 2 kW but not exceeding 5 kW	120/-
3.		Exceeding 5 kW but not exceeding 10 kW	210/-
4.		Exceeding 10 kW	60 for each additional kW or part thereof

AS

S. No.	SCALE "F"		
	Nature of Service	Equipment	Fees in Rs. For each inspection/equipment
1	2	3	4
1.	Inspection and testing of Special Equipment	CT Scanner/MRI	10000/-
2.		X-Ray	10/- per milli ampere
3.		Welding Set of Single Phase type	250/-
4.		Welding Set of Two Phase or Welding Set of Three Phase type	500/-
5.		Electric Furnace	
6.		Upto 1000 kW	8000/-
7.		Exceeding 1000 kW but not exceeding 2000 kW	10000/-
8.		Exceeding 2000 kW	20000/-


S. No.	SCALE "G"		
	Nature of Service	Purpose for which fee is to be paid	Fees in Rs. for each inspection
1	2	3	4
1.	For inspection and testing of Associated Sub-station Equipment: (Linked Switch, Breaker and Isolator at HT and EHT voltage.)	HT linked switch, breaker and Isolator upto 630 A	1500/- for each item
2.		HT linked switch, breaker and Isolator exceeding 630 A	3000/- for each item
3.		EHT linked switch, breaker and Isolator upto 630 A	2500/- for each item
4.		EHT linked switch, breaker and Isolator exceeding 630 A	5000/- for each item

S. No.	SCALE "H"		
	Purpose for which fee is to be paid		
1	2	Fees in Rs. for each approval	
		3	
1.	For approval of drawings, maps, plans and sections as per Sec. 53 (f) of Electricity Act, 2003	At 33 kV voltage level	5000/-
2.		Exceeding 33 kV voltage level	10000/-
* No approval is required for the drawings of below 33 kV voltage level.			

S. No.	SCALE "I"	
	Nature of Service	Fees in Rs. for each inspection
1	2	3
1.	For inspection or examination of any electrical traction system including trolley wires or overhead equipment and testing of bonding and leakage currents.	800/- per day or part thereof

S. No.	SCALE "J"			
	Nature of Service		Fees in Rs. for each inspection at Laboratory	Fees in Rs. for each inspection at consumer's premises
1	2		3	4
1.	For testing a single phase meter of any description	Upto a capacity of 50 Amperes	100/-	300/-
2.		CT operated meter	200/-	400/-
3.		For HT meter and equipment	2000/-	2200/-

- Note:(1) For the testing and inspection of Temporary Installation/connection, 50% of the actual fee shall be payable which shall be valid for two months. After the initial inspection, re-inspection shall be carried out on monthly basis for which 50% of the actual fee shall be payable for each re-inspection.
- (2) For every re-testing and re-inspection carried out due to breach of any of the provisions of the Electricity Act, 2003 and Central Electricity Authority Regulations, 2010 or rule and regulations made there under, 50% of the previous testing and inspection fee shall be payable.
- (3) For periodical inspections and testing of installations as per Regulation 30 of Central Electricity Authority Regulations, 2010, 100% of the actual fee shall be payable.
- (4) The fee prescribed above shall be payable for each periodical inspection and testing as per the frequency of inspection and testing prescribed by the State Government from time to time.
- (5) The fee of inspection and testing of electrical installations carried out by Chartered Electrical Safety Engineer shall be paid by the owner or his agent to the Chartered Electrical Safety Engineer through Demand draft/Cheque only.
- (6) The fees for inspection and testing of installations carried out by Electrical Inspectors or any other officer appointed to assist him, shall be paid by the owner or his agent through Demand Draft in favour of Senior Electrical Inspector, F 101, Panchsheel Marg, Near Bagadia Bhawan, C Scheme, Jaipur, Rajasthan, Pin-302001. The Treasury Challan shall be sent to the Electrical Inspector or Assistant Electrical Inspector.


- (7) Government Water Works, sewage pumping stations and Government irrigation pumps are exempted from the levy of inspection fee.
- (8) In case the periodical inspection fee is not paid on or before the date of scheduled inspection, interest shall be levied at the Bank Rate prevailing as on 1st April of the financial year for which interest is due and would be charged while demanding fee for the subsequent periodical inspections.
- (9) In case the periodical testing and inspection or re-inspection is not carried out in the year for which fees is paid, it shall be adjusted in the subsequent periodical inspections.
- (10) "Kilovolt ampères" or "BHP" or "kVAR" shall be read instead of "Kilowatts" wherever the machinery or equipment is so rated.
- (11) The above fees specified in the schedule shall be increased further by 10% after every three years from the date of this notification.

By Order of the Governor,


(U.D. Khan)

Joint Secretary to the Government

- Copy forwarded to the following for information and necessary action:- 22/9/16
1. Secretary to Hon'ble Chief Minister, Rajasthan
 2. Special Assistant, Hon'ble State Minister, Energy
 3. Chief Secretary, Rajasthan, Jaipur
 4. Chairman, Central Electricity Authority, New Delhi.
 5. Secretary, Ministry of Power, Govt. of India, New Delhi
 6. Pr. Secretary, Finance / Pr. Secretary, Energy
 7. Chairman & Managing Director, Rajasthan Rajya Vidyut Prasaran/Utpadan Nigam Limited, Jaipur
 8. Chairman, Discoms, Vidyut Bhawan, Jaipur
 9. Managing Director, Jaipur/Jodhpur/Ajmer Vidyut Vitran Nigam Limited, Jaipur/Jodhpur/Ajmer.
 10. Managing Director, Rajasthan Renewable Energy Corporation, Jaipur
 11. Secretary, Rajasthan Electricity Regulatory Commission, Jaipur
 12. Superintendent, Central Govt. Press, Jaipur. with a request kindly get it published in extra ordinary gazette of Rajasthan Rajpatra (Permission of Bhasha Vibhag, Jaipur is enclosed).
 13. Sr. Electrical Inspector, Rajasthan, Jaipur. Kindly circulate it to all subordinate offices.
 14. Electrical Inspectors, Electrical Inspectorate, Jaipur/Kota/Jodhpur
 15. Guard File.


Joint Secretary to the Govt.

22/9/16

राजस्थान सरकार
ऊर्जा विभाग

क्रमांक प.22 (20)ऊर्जा/94

जयपुर, दिनांक : 22.09.2016

अधिसूचना

राजस्थान मुख्य विद्युत निरीक्षक और विद्युत निरीक्षक (शक्तियां और कृत्य) नियम, 2016 के नियम 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस विभाग की अधिसूचना संख्यांक एफ. 22(20) ऊर्जा/94 दिनांक 31 दिसम्बर, 1994 को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार, इसके द्वारा तुरन्त प्रभाव से अधिसूचित करती है कि निरीक्षकों या उनकी सहायता के लिए नियुक्त किसी अन्य अधिकारी द्वारा विद्युत स्थापनों और सेवाओं के परीक्षण और निरीक्षण के लिए संदेय फीस वह होगी जो नीचे दी गयी अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गयी है, अर्थात् :-

फीस की अनुसूची

क्र.सं.	मापमान "क"		
	सेवा की प्रकृति.	स्थापन की क्षमता	प्रत्येक निरीक्षण के लिए फीस रु. में
1	2	3	4
1.	मध्यम वोल्टेज और उच्च वोल्टेज मोटरों का निरीक्षण, परीक्षा और परीक्षण	6 केडब्ल्यू तक	80/-
2.		6 केडब्ल्यू से अधिक किन्तु 20 केडब्ल्यू से अनधिक	200/-
3.		20 केडब्ल्यू से अधिक किन्तु 50 केडब्ल्यू से अनधिक	800/-
4.		50 केडब्ल्यू से अधिक किन्तु 100 केडब्ल्यू से अनधिक	1600/-
5.		100 केडब्ल्यू से अधिक किन्तु 1000 केडब्ल्यू से अनधिक	2000/-
6.		1000 केडब्ल्यू से अधिक	4000/-



क्र.सं.	मापमान "ख"		
	सेवा की प्रकृति	स्थापन की क्षमता	प्रत्येक निरीक्षण के लिए फीस रु. में
1	2	3	4
1.	प्रत्येक ट्रांसफार्मर और जनरेटर का निरीक्षण, परीक्षा और परीक्षण	आवासीय परिसर में 10 केवीए तक के घरेलू लाइटिंग सेट	150/-
2.		10 केवीए से अधिक किन्तु 25 केवीए से अनधिक	350/-
3.		25 केवीए से अधिक किन्तु 50 केवीए से अनधिक	700/-
4.		50 केवीए से अधिक किन्तु 100 केवीए से अनधिक	1000/-
5.		100 केवीए से अधिक किन्तु 250 केवीए से अनधिक	1600/-
6.		250 केवीए से अधिक किन्तु 500 केवीए से अनधिक	2200/-
7.		500 केवीए से अधिक किन्तु 750 केवीए से अनधिक	3000/-
8.		750 केवीए से अधिक किन्तु 1000 केवीए से अनधिक	3600/-
9.		1000 केवीए से अधिक किन्तु 10000 केवीए से अनधिक	5000/-
10.		10000 केवीए से अधिक	7500/-



क्र.सं.	मापमान "ग"		
	सेवा की प्रकृति	स्थापन की क्षमता	प्रति सर्किट प्रति किमी प्रत्येक निरीक्षण के लिए फीस रु. में
1	2	3	4
1.	लाइन, बसबार और	11 केवी तक	250 / -
2.	केबलों का निरीक्षण, परीक्षण और परीक्षा	11 केवी से अधिक किन्तु 33 केवी से अनधिक	1500 / -
3.		33 केवी से अधिक	3000 / -

क्र.सं.	मापमान "घ"	
	प्रयोजन जिसके लिए फीस संदत्त की जानी है	प्रत्येक निरीक्षण करने और/या प्रमाणपत्र जारी करने के लिए फीस रु. में
1	2	3
1.	केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा तथा विद्युत आपूर्ति संबंधी उपाय) विनियम, 2010 के विनियम 63(6) के अधीन निरीक्षण करने और/या प्रमाणपत्र जारी करने के लिए	1000 / -

क्र.सं.	मापमान "ङ"		
	सेवा की प्रकृति	स्थापन की क्षमता	प्रत्येक निरीक्षण के लिए फीस रु. में
1	2	3	4
1.	उपभोक्ता/स्वामी के	2 केडब्ल्यू तक	60 / -
2.		2 केडब्ल्यू से अधिक किन्तु 5 केडब्ल्यू से अनधिक	120 / -



3.	एलटी स्थापन का निरीक्षण और परीक्षण	5 केडब्ल्यू से अधिक किन्तु 10 केडब्ल्यू से अनधिक	240/-
4.		10 केडब्ल्यू से अधिक	प्रत्येक अतिरिक्त केडब्ल्यू या उसके भाग के लिए 60/-

क्र.सं.	मापमान "च"		
	सेवा की प्रकृति	उपस्कर	प्रत्येक निरीक्षण/उपस्कर के लिए फीस रु. में
1	2	3	4
1.	विशेष उपस्कर का निरीक्षण और परीक्षण	सी टी स्केनर/एमआरआई	10000/-
2.		एक्स-रे	10/- प्रति मिली एम्पीयर
3.		सिंगल फेज प्रकार का वेल्डिंग सेट	250/-
4.		टू फेज का वेल्डिंग सेट या थ्री फेज प्रकार का वेल्डिंग सेट	500/-
5.		विद्युत भट्टी	
6.		1000 केडब्ल्यू तक	8000/-
7.		1000 केडब्ल्यू से अधिक किन्तु 2000 केडब्ल्यू से अनधिक	10000/-
8.		2000 केडब्ल्यू से अधिक	20000/-

क्र.सं.	मापमान "छ"		
	सेवा की प्रकृति	प्रयोजन जिसके लिए फीस संदत्त की जानी है	प्रत्येक निरीक्षण के लिए फीस रु. में
1	2	3	4



1.	सहबद्ध उप-केन्द्र उपस्कर के	630ए तक एचटी लिंकड स्विच, ब्रेकर और आइसोलेटर	प्रत्येक मद के लिए 1500/-
2.	निरीक्षण और परीक्षण के लिए : (एचटी और ईएचटी	630ए से अधिक एचटी लिंकड स्विच, ब्रेकर और आइसोलेटर	प्रत्येक मद के लिए 3000/-
3.	वोल्टेज पर लिंकड स्विच, ब्रेकर और आइसोलेटर)	630ए तक ईएचटी लिंकड स्विच, ब्रेकर और आइसोलेटर	प्रत्येक मद के लिए 2500/-
4.		630ए से अधिक ईएचटी लिंकड स्विच, ब्रेकर और आइसोलेटर	प्रत्येक मद के लिए 5000/-

मापमान "ज "		
क्र.सं.	प्रयोजन जिसके लिए फीस संदत्त की जानी है	प्रत्येक अनुमोदन के लिए फीस रु. में
1	2	3
1.	विद्युत अधिनियम,	33 केवी वोल्टेज स्तर पर 5000/-
2.	2003 की धारा 53 (च) के अनुसार ड्राईंग, नक्शों, योजनाओं और खण्डों के अनुमोदन के लिए	33 केवी वोल्टेज स्तर से अधिक 10000/-
* 33 केवी वोल्टेज स्तर से कम की ड्राईंग के लिए कोई अनुमोदन अपेक्षित नहीं है।		
मापमान "झ"		
क्र.सं.	सेवा की प्रकृति	प्रत्येक निरीक्षण के लिए फीस रु. में

A

1	2	3
1.	ट्रोल्ली वायर या ओवरहेड उपस्कर और बोन्डिंग और लीकेज करंट के परीक्षण को सम्मिलित करते हुए किसी विद्युत ट्रेक्शन प्रणाली के निरीक्षण या परीक्षा के लिए	प्रति दिन या उसके भाग के लिए 800/-

क्र.सं.	मापमान "ज"			
	सेवा की प्रकृति	प्रयोगशाला में प्रत्येक निरीक्षण के लिए फीस रु. में	उपभोक्ता के परिसर में प्रत्येक निरीक्षण के लिए फीस रु. में	
1	2	3	4	
1.	किसी भी विवरण के सिंगल फेंज	50 एम्पीयर की क्षमता तक	100/-	300/-
2.	मीटर के परीक्षण के लिए	सी टी प्रचालित मीटर	200/-	400/-
3.		एच टी मीटर और उपस्कर के लिए	2000/-	2200/-

टिप्पण: (1) अस्थायी संस्थापन/संयोजन के परीक्षण और निरीक्षण के लिए वास्तविक फीस का 50% संदेय होगा जो दो मास के लिए विधिमान्य होगा। प्रारंभिक निरीक्षण के पश्चात्, मासिक आधार पर पुनः निरीक्षण किया जायेगा जिसके लिए वास्तविक फीस का 50% प्रत्येक पुनः निरीक्षण के लिए संदेय होगा।

(2) विद्युत अधिनियम, 2003 और केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण विनियम, 2010 या तदधीन बनाये गये नियमों और विनियमों के उपबन्धों में से किसी उपबन्ध के




भंग के कारण किये गये प्रत्येक पुनः परीक्षण और पुनः निरीक्षण के लिए पूर्व परीक्षण और निरीक्षण फीस का 50% संदेय होगा।

- (3) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण विनियम, 2010 के विनियम 30 के अनुसार स्थापनों के कालिक निरीक्षणों और परीक्षणों के लिए वास्तविक फीस का 100% संदेय होगा।
- (4) उपर्युक्त विहित फीस राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर विहित निरीक्षण और परीक्षण की आवृत्ति के अनुसार प्रत्येक कालिक निरीक्षण और परीक्षण के लिए संदेय होगी।
- (5) चार्टर्ड विद्युत सुरक्षा अभियंता द्वारा किये गये विद्युत स्थापनों के निरीक्षण और परीक्षण की फीस स्वामी या उसके अभिकर्ता द्वारा केवल मांगदेय ड्राफ्ट/चैक के माध्यम से चार्टर्ड विद्युत सुरक्षा अभियंता को संदत्त की जायेगी।
- (6) विद्युत निरीक्षकों या उनकी सहायता के लिए नियुक्त किसी अन्य अधिकारी द्वारा किये गये स्थापनों के निरीक्षण और परीक्षण के लिए फीस, वरिष्ठ विद्युत निरीक्षक, एफ 101, पंचशील मार्ग, बगड़िया भवन के पास, सी-स्कीम, जयपुर, राजस्थान, पिन-302001 के पक्ष में मांगदेय ड्राफ्ट के माध्यम से स्वामी या उसके अभिकर्ता द्वारा संदत्त की जायेगी। खजाना चालान विद्युत निरीक्षक या सहायक विद्युत निरीक्षक को भेजा जायेगा।
- (7) सरकारी जल संकर्म, सीवेज पंपिंग स्टेशन और सरकारी सिंचाई पम्प निरीक्षण फीस के उद्ग्रहण से छूट प्राप्त हैं।
- (8) यदि कालिक निरीक्षण फीस, निरीक्षण की नियत तारीख को या उससे पूर्व संदत्त नहीं की जाती है तो ब्याज उस वित्तीय वर्ष के लिए, जिसके लिए ब्याज शोध्य है, अप्रैल के प्रथम दिवस को विद्यमान बैंक दर पर उद्गृहीत किया जायेगा और पश्चात्पूर्ती कालिक निरीक्षणों के लिए फीस की मांग करते समय प्रभारित किया जायेगा।




- (9) यदि उस वर्ष में जिसके लिए फीस संदत्त की गयी है, कालिक परीक्षण और निरीक्षण या पुनः निरीक्षण नहीं किया जाता है तो यह पश्चात्वर्ती कालिक निरीक्षणों में समायोजित की जायेगी।
- (10) "किलोवाट्स" के स्थान पर "किलोवाट एम्पीयर" या "बीएचपी" या "केवीएआर" पढ़ा जायेगा जहां कहीं मशीनरी या उपस्कर का मूल्यांकन इस प्रकार किया गया है।
- (11) अनुसूची में विनिर्दिष्ट उपर्युक्त फीस, इस अधिसूचना की तारीख से, प्रत्येक तीन वर्ष के पश्चात् 10% और बढ़ाई जायेगी।

राज्यपाल के आदेश से,

 (यू डी खान)
 संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान
2. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्य मंत्री ऊर्जा
3. मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर
4. अध्यक्ष, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, नई दिल्ली
5. सचिव, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली
6. प्रमुख शासन सचिव, वित्त/ ऊर्जा विभाग
7. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण/उत्पादन निगम लिमिटेड, जयपुर
8. अध्यक्ष, विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर
9. प्रबन्ध निदेशक, जयपुर/जोधपुर /अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर/जोधपुर/अजमेर
10. प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड, जयपुर
11. सचिव, राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग, जयपुर
12. अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि उक्त अधिसूचना को राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित करवाकर दो प्रतियाँ इस विभाग को भिजवावे।
13. वरिष्ठ विद्युत निरीक्षक, विद्युत निरीक्षणालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त अधिसूचना को समस्त अधीनस्थ कार्यालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करावे।
14. विद्युत निरीक्षक, विद्युत निरीक्षणालय, जयपुर/जोधपुर/कोटा
15. अधीक्षण अभियंता (आई टी) राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त अधिसूचना को ऊर्जा विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करावे।
16. रक्षित पत्रावली


 संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान सरकार
ऊर्जा विभाग

कमांक प.22 (20)ऊर्जा/94

जयपुर, दिनांक : 22.09.2016

अधिसूचना

राजस्थान विद्युत निरीक्षणालय (तकनीकी समिति का गठन और अनुज्ञप्ति, कार्य करने के लिए सक्षमता प्रमाणपत्र और कार्य करने के लिए अनुज्ञापत्र की मंजूरी) नियम, 2016 के नियम 9 और 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस सम्बन्ध में विभाग द्वारा जारी की गयी समस्त पूर्व अधिसूचनाओं को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार इसके द्वारा तुरंत प्रभाव से अधिसूचित करती है कि ठेकेदार की अनुज्ञप्ति की मंजूरी और उसके नवीकरण के लिए संदेय फीस और कार्य करने के सक्षमता प्रमाणपत्र और कार्य करने के अनुज्ञापत्र की मंजूरी और उसके नवीकरण के लिए संदेय फीस वह होगी जो नीचे दी गयी अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गयी है, अर्थात् :-

फीस की अनुसूची

क्र. सं.	ठेकेदार की अनुज्ञप्ति की मंजूरी और उसके नवीकरण के लिए फीस				
	प्रयोजन जिसके लिए फीस संदत्त की जानी है	फीस रु. में			
		विद्युत ठेकेदार वर्ग क	विद्युत ठेकेदार वर्ग ख	विद्युत ठेकेदार वर्ग ग	विद्युत ठेकेदार वर्ग घ
1	2	3	4	5	6
1.	ठेकेदार की अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन की लागत	250/-	250/-	100/-	100/-
2.	नई अनुज्ञप्ति जारी करने के लिए फीस	9000/-	5000/-	2000/-	750/-
3.	नियत तारीख को या उससे पूर्व नवीकरण फीस	4000/-	2000/-	700/-	250/-

4.	अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए विलम्ब फीस (नियत तारीख के पश्चात् 30 दिन तक) टिप्पण : 30 दिन के पश्चात् अनुज्ञप्ति स्वतः ही रद्द हो जायेगी	9000 /-	5000 /-	2000 /-	750 /-
5.	अनुज्ञप्ति की दूसरी प्रति जारी करने के लिए फीस	1500 /-	750 /-	300 /-	250 /-

क्र. सं.	कार्य करने के लिए सक्षमता प्रमाणपत्र और अनुज्ञापत्र की मंजूरी और उसके नवीकरण के लिए फीस				
	प्रयोजन जिसके लिए फीस संदत्त की जानी है	फीस रु. में			
		विद्युत पर्यवेक्षक ग्रेड क	विद्युत पर्यवेक्षक ग्रेड ख	वायरमैन	चार्टर्ड विद्युत सुरक्षा अभियंता
1	2	3	4	5	6
1.	परीक्षा के लिए आवेदन पत्र की लागत	500 /-	500 /-	250 /-	500 /-
2.	कार्य करने के लिए सक्षमता प्रमाणपत्र की मंजूरी के लिए फीस	1000 /-	1000 /-	500 /-	-

10

3.	कार्य करने के लिए अनुज्ञापत्र की मंजूरी के लिए फीस	1000/-	1000/-	500/-	5000/-
4.	नियत तारीख को या उसके पूर्व कार्य करने के लिए अनुज्ञापत्र की विधिमान्यता के विस्तार के लिए फीस	100/-	100/-	80/-	1500/-
5.	नियत तारीख के पश्चात् विधिमान्यता के विस्तार के लिए विलम्ब फीस (नियत तारीख के पश्चात् 30 दिन तक) टिप्पण : 30 दिन के पश्चात्, कार्य करने के लिए अनुज्ञापत्र स्वतः ही रद्द हो जायेगा	120/-	120/-	100/-	कार्य करने के लिए अनुज्ञापत्र नियत तारीख के पश्चात् रद्द समझा जायेगा।

Handwritten mark

6.	कार्य करने के लिए अनुज्ञापत्र की दूसरी प्रति जारी करने के लिए फीस	150 / -	150 / -	150 / -	2000 / -
----	---	---------	---------	---------	----------

अनुसूची में विनिर्दिष्ट उपर्युक्त फीस, इस अधिसूचना की तारीख से, प्रत्येक तीन वर्ष के पश्चात् 10% और बढ़ाई जायेगी।

राज्यपाल के आदेश से,
(यू डी खान)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान
2. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्य मंत्री ऊर्जा
3. मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर
4. अध्यक्ष, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, नई दिल्ली
5. सचिव, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली
6. प्रमुख शासन सचिव, वित्त / ऊर्जा विभाग
7. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण/उत्पादन निगम लिमिटेड, जयपुर
8. अध्यक्ष, विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर
9. प्रबन्ध निदेशक, जयपुर/जोधपुर /अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर/जोधपुर/अजमेर
10. प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड, जयपुर
11. सचिव, राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग, जयपुर
12. अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि उक्त अधिसूचना को राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित करवाकर दो प्रतियाँ इस विभाग को भिजवावे।
13. वरिष्ठ विद्युत निरीक्षक, विद्युत निरीक्षणालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त अधिसूचना को समस्त अधीनस्थ कार्यालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करावे।
14. विद्युत निरीक्षक, विद्युत निरीक्षणालय, जयपुर/जोधपुर/कोटा
15. अधीक्षण अभियंता (आई टी) राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त अधिसूचना को ऊर्जा विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करावे।
16. रक्षित पत्रावली

संयुक्त शासन सचिव